**बिहार में उकरानाला सिंचाई योजना**

2. **डा० रामजी सिंह** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुंगर जिले की उकरानाला सिंचाई योजना को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है ;

(ग) क्या जमालपुर (मुंगेर) के पास दो पहाड़ियों के बीच घाटी में बांध बनाने की कोई सिंचाई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी योजना को प्राथमिकता न देने के क्या कारण हैं जिसमें लागत कम आयेगी और लाभ अधिक होगा ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल)**: (क) से (घ) : बिहार सरकार से ऐसी कोई सिंचाई स्कीमें नहीं प्राप्त हुई हैं। तथापि, बिहार के मुगेर जिले में 8 43 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की डकरानाला पम्प नहर नामक एक बृहद सिंचाई स्कीम योजना आयोग द्वारा 13 अप्रैल, 1976 को अनुमोदित की गई थी । इस स्कीम का कार्यान्वयन बिहार सरकार द्वारा हाथ में ले लिया गया है । इस स्कीम में मुंगेर जिले में 8,900 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने के लिए गंगा से 8.61 क्यूमेक्स जल को लिफ्ट करना परिकल्पित है । पम्पिंग को दो चरणों में किए जाने का प्रस्ताव है । पहले चरण में स्थापित किए जाने लाले पम्प मुंगेर जिले के लगभग 4.8 किलोमीटर दक्षिण में स्थापित किए जाने है जहां डकरानाला गंगा में मिलता है । दूसरे चरण में स्थापित किए जाने वाले पम्प जमालपुर रेलवे स्टेशन मे लगभग 11.3 किलोमीटर दक्षिण में स्थापित किए जाएंगे । इस स्कीम के पूरा होने में 7 वर्ष लगने की संभावना है ।

**किसानों का आर्थिक विकास**

3. **श्री कल्याण जैन** : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरकार कृषि को भारत के सर्वांगीण आर्थिक विकास का आधार मानते हुए कृषि को एक वैज्ञानिक और तकनीकी स्वरूप देकर किसानों को वित्तीय सहायता एवं विपणन-सुविधायें देने के लिए कौन सी नई योजनायें तैयार कर रही है ताकि किसानोंएका पिछड़ापन दूर हो जाये और उनकी आर्थिक दशा सुधर जाये ?

**कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल)** अनेक चालू तथा नयी केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनायें ऐसी है जिन्हें वैज्ञानिक कृषि विकास के लिए सन् 1977–78 में शुरु किया जा रहा है । अन्य बातों के साथ-साथ उद्देश्य वित्तीय सहायता देना और कृषकों को वितरण संबंधी सुविधायें प्रदान करना है । इस संबंध में ब्यौरा बजट प्रस्तावों में शामिल कर लिया गया है जिसे संसद में पेश किया जायेगा ।

**राजस्थान में बसे पाकिस्तानी शरणार्थियों का स्थायी पुनर्वास**

4. **श्री चतुर्भुज** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाड़मेर, जैसलमेर और अन्य स्थानों में अब तक रह रहे उन शरणार्थी परिवारों की संख्या कितनी है जो 1971 में पश्चिम पाकिस्तान से राजस्थान आ गये थे;

(ख) उनके स्थायी पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या योजनाएं बनाई है और उन्हें अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ; और

(ग) उनमें से कितने परिवारों को राजस्थान नहर कमांड क्षेत्र में भूमि आवंटित की गई है ?

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त)**: (क) राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में इस प्रकार के विस्थापित व्यक्ति परिवारों की संख्या 8994 है । इन में से 8628 परिवार सरकार द्वारा स्थापित राहत शिविरों में रह रहे है ।

(ख) और (ग) जैसे ही पाकिस्तान में स्थिति में सुधार हो जाएगा ये विस्थापित व्यक्ति सुरक्षा तथा सम्मान सहित पाकिस्तान लौटने के हकदार है । इसलिए उनके स्थायी पुनर्वास के लिए योजनाए तैयार नहीं की गई हैं । इनमें से किसी को भी राजस्थान नहर के कमांड क्षेत्र में आने वाली भूमि आवंटित नहीं की गई है । फिर भी, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाए विचाराधीन है ताकि वे अनिश्चित काल तक शिविरों में न रहते रहें ।

इस बीच इन्हें शिविरों में राहत सहायता दी जा रही है । जो शिविरों से बाहर रह रहे है यदि वे शिविरों में प्रवेश ले लें तो वे भी राहत सहायता प्राप्त कर सकते है ।

इन विस्थापित व्यक्तियों को शिविरों में राहत सहायता देने के लिए राजस्थान सरकार को अब तक 8 91 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है ।

**objectives of allotment of houses by DDA**

5. SHRI R. KOLANTHAIVELU: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the basic objectives of allotment of houses by D.D.A.;

(b) whether the policy for allotment is heavily weighted in favour of those with good financial resources who are able to pay the whole or a major portion of the cost as cash down; and

(c) if so, whether the policy conforms in letter and spirit to the basic objectives?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDAR BAKHT): (a) To relieve the shortage of housing in Delhi for middle income, low income, janata and community service personnel by constructing houses at reasonable prices.

(b) DDA has been offering flats both on cash down and hire purchase basis since 1966-67. In 1976, however, in order to increase the pave of construction and generate resources, preference was given to persons who paid in cash the entire amount, 75 per cent of the amount, 50 per cent of the amount and so on in that order and the balance in instalments.

(c) No. The policy is under review.

***संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों के लिए नागरिक सुविधाएं***

6. **श्री शिवनारायण सरसूनिया** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ क्षेत्र दिल्ली में उन बस्तियों के नाम क्या हैं, जिन्हें अनधिकृत कहा जाता है और उन्हें नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या नई आवास नीति के अनुसार जिन अनधिकृत बस्तियों को नियमित किया जाना है, उनमें नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम को आदेश जारी कर दिये गये हैं; और

(ग) नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए स्थानीय संस्थाओं ने क्या कार्यवाही की है और उन बस्तियों के नाम क्या